

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(148)छात्र./नवीन पोर्टल/सान्याअवि/2016-17/4442

दिनांक : 1-6-2018

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं यथा: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में से कतिपय आवेदन पत्रों में आंशिक कमियां अथवा आक्षेप होने के कारण स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेपित किया गया था, ऐसे आवेदन पत्रों में संबंधित विद्यार्थी/शिक्षण संस्थाओं द्वारा दिनांक 15 मई, 2018 तक आक्षेप पूर्ति कर स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन पत्र ऑनलाईन फारवर्ड किया जाना था किन्तु ऑनलाईन फारवर्ड किए जाने की अन्तिम तिथि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कतिपय विद्यार्थियों/शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं की गई अथवा विद्यार्थी द्वारा आक्षेप पूर्ति कर दिये जाने के पश्चात् भी संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन पत्र ऑनलाईन फारवर्ड नहीं किया गया जिसकी वजह से ऐसे आवेदन पत्रों की छात्रवृत्ति एवं भुगतान की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

अतः विद्यार्थी हित को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्रकृति के ऐसे आवेदन पत्र जो विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान के स्तर पर आक्षेप पूर्ति अथवा अन्य कारणों से लम्बित है, को स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन फारवर्ड करवाने हेतु दिनांक 30 जून, 2018 तक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। दिनांक 30 जून, 2018 के पश्चात् विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)(148)छात्र./नवीन पोर्टल/सान्याअवि/2016-17/44498-550 दिनांक : 1-6-2018

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार/श्रम एवं नियोजन, जयपुर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/ निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग जोधपुर
9. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान
10. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
11. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी (समस्त)
12. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
14. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त).....
15. प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार/निदेशक, (राज्य से बाहर, की राजकीय/एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान.....
16. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....
17. प्राचार्य राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर /स्नातक महाविद्यालय समस्त.....
18. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....
19. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....
20. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएँ.....
21. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, मुख्यावास को पोर्टल पर उपरोक्तानुसार बेवसाइड पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
22. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु
23. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
24. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त). को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आपके जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
25. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

As on 1.6.18

Pending Forms of academic year 2016-17 at institute/school or student level on 01.06.2018 (Rajasthan state)

State	District	Pending at Institute/School	Pending At student level after objection	Total pending
Rajasthan	AJMER	372	1,598	1,970
Rajasthan	ALWAR	1375	6,782	8,157
Rajasthan	BANSWARA	1415	1,826	3,241
Rajasthan	BARAN	538	756	1,294
Rajasthan	BARMER	364	666	1,030
Rajasthan	BHARATPUR	1012	2,224	3,236
Rajasthan	BHILWARA	356	1,484	1,840
Rajasthan	BIKANER	247	1,080	1,327
Rajasthan	BUNDI	655	944	1,599
Rajasthan	CHITTORGARH	300	1,259	1,559
Rajasthan	CHURU	651	2,027	2,678
Rajasthan	DAUSA	958	4,332	5,290
Rajasthan	DHOLPUR	266	799	1,065
Rajasthan	DUNGARPUR	2207	2,385	4,592
Rajasthan	HANUMANGARH	312	1,817	2,129
Rajasthan	JAIPUR (R)	1232	8,062	9,294
Rajasthan	JAIPUR (U)	1324	8,194	9,518
Rajasthan	JAISALMER	140	152	292
Rajasthan	JALORE	356	770	1,126
Rajasthan	JHALAWAR	771	773	1,544
Rajasthan	JHUNJHUNU	1215	2,927	4,142
Rajasthan	JODHPUR	714	1,507	2,221
Rajasthan	KARALI	962	1,048	2,010
Rajasthan	KOTA	579	2,296	2,875
Rajasthan	NAGPUR	541	1,280	1,821
Rajasthan	PALI	765	1,853	2,618
Rajasthan	PRATAPGARH	1113	337	1,450
Rajasthan	RAJSAMAND	401	496	897
Rajasthan	SAWAI MADHOPUR	427	1,560	1,987
Rajasthan	SIKAR	913	4,090	5,003
Rajasthan	SIROHI	286	414	700
Rajasthan	SRI GANGANAGAR	482	1,405	1,887
Rajasthan	TONK	412	1,359	1,771
Rajasthan	UDAIPUR	1563	4,439	6,002
Grand Total	Total	25,224	72,941	98,165